

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 17(26) खा.वि./न्याय/72-III


जयपुर, दिनांक: 28.03.2020

समस्त,
जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :- जिलों में प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक के रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप के दौरान आवश्यक वस्तुओं के साम्यिक वितरण और कीमतों को विनियमित करने और उनके दुरुपयोग के निवारण के लिए लोकहित में आवश्यक वस्तु अधिनियम और सपठित आदेशों का प्रवर्तन किया जाना है। अतः जिले में जिन स्थानों पर प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक के पद रिक्त हैं, वहां प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक के पदस्थापन तक सम्बन्धित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को इन पदों का उनके क्षेत्राधिकार में दिनांक 30.06.2020 तक आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया जाता है।


(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. निजी सहायक, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
6. समस्त, जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर को ई-मेल करने बाबत।
8. रक्षा पत्रिका।


सहायक आयुक्त